पत्रांक–2ब० / बजट–14–11 / 2019 07 / न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–06/5/19

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर पंचायत, मोहनियाँ क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण संबंधित योजना हेतु ₹30.75850 लाख (तीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर पंचायत, मोहनियाँ क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण संबंधित कुल ₹61.51700 लाख (एकसठ लाख एकावन हजार सात सौ रु०) मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹30.75850 लाख (तीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०– 07, दिनांक– 27.09.2018 द्वारा स्वीकृत करते हुए आवंटनादेश सं०– 63, दिनांक– 27.09.2018 द्वारा आवंटित किया गया था।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ के पत्रांक– 336, दिनांक– 15.04.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त आवंटनादेश द्वारा आवंटित राशि की निकासी उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित रहने के कारण नहीं हो सकी। इस संबंध में वरीय कोषागार पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक– 176, दिनांक– 11.04.2019 द्वारा निर्गत अनिकासी प्रमाण–पत्र भी संलग्न करते हुए उक्त आवंटित राशि को पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 04 के अनुरूप प्रदत्त कुल ₹61.51700 लाख (एकसठ लाख एकावन हजार सात सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 06 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत ₹30.75850 लाख (तीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र की निकासी नहीं होने के कारण पुनः वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्तम्भ– 7 के अनुरूप कुल ₹30.75850 लाख (तीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अनिकासी की राशि	चालू वित्तीय वर्ष में तत्काल स्वीकृत अनिकासी की राशि	अवशेष राशि (4–7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर पंचायत, मोहनिया	वार्ड नं०– 15 अंतर्गत पुरानी कचहरी से मेन रोड तक पी०सी०सी० पथ एवं नाला निर्माण कार्य।	61.51700	30.75850	30.75850	30.75850	30.75850

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹30.75850 लाख (तीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹30.75850 लाख (तीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 2561, दिनांक—17.04.98 एवं पत्रांक— 256, दिनांक— 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम— 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०— 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 1496, दिनांक— 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०— 573, दिनांक— 16.01.1975 एवं एम 04—15/2009—9736, दिनांक— 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल राशि ₹30.75850 लाख (तीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या— 48 बजट शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष— 03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष— 193—नगर पंचायतों—अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष— 0104—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें—सहायक अनुदान, विपत्र कोड— **48-2217031930104,** विषय शीर्ष— 0104.31.05 सहायक अनुदान— परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती हैः—

(i) ***योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत, मोहनियाँ द्वारा किया जायेगा।***

(ii) जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय—समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, विभाग का नाम, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/बजट–14–11/2019 के पृष्ठ सं०–.....04...../टि० पर दिनांक–...30/04/2019... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–.....05...../टि० पर दिनांक–...30/04/2019... को प्राप्त है ।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) 03.05.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–11/2019 07 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–06/05/19

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 03.05.19

सरकार के विशेष सचिव।